◆ ADVT ◆
यहाँ विज्ञापन दें
98700 06472 · need24.digital

NEED24 NEWS
हर ख़बर, हर शहर

नीड 24 न्यूज़

हर खबर, हर शहर

◆ ADVT ◆
यहाँ विज्ञापन दें
98700 06472 · need24.digital

DIGITAL E-PAPER

PRGI APPLICATION
UNDER PROCESS
Application No.
T/GJ/2026/0619/2304/1577

GST
GSTIN
24CINPG0564Q1ZT

UDYAM REGISTERED
UDYAM-GJ-14-0003714

◆ DIGITAL NEWS NETWORK ◆
भारत का भरोसेमंद बहुभाषी डिजिटल न्यूज़ नेटवर्क
11+ Languages | 24×7 Live | e-Paper Daily

हमारा App डाउनलोड करें
Download on the App Store
GET IT ON Google Play

www.need24.digital
info@need24.in
+91 98700 06472
FOLLOW US:

तेज़ | सटीक | निष्पक्ष | जनहित में | सच की आवाज़ | जन-जन की आवाज़ | निडर पत्रकारिता

CHANDIGARH | नीड 24 न्यूज़ · हर खबर, हर शहर | 23 नवम्बर 2026

धर्म

चंडीगढ़ में छठ महापर्व का समापन, सेक्टर-42 के न्यू लेक पर अर्घ्य अर्पित



चंडीगढ़ के सेक्टर-42 स्थित न्यू लेक के किनारे छठ महापर्व का समापन हुआ। 36 घंटे के निर्जला व्रत के बाद श्रद्धालु प्रातःकाल उगते सूर्य को अर्घ्य अर्पित करने के लिए एकत्रित हुए। स्थानीय निवासी और बाहरी आगंतुकों ने पारम्परिक वस्त्र धारण कर, गीत-भजन गाते हुए फल, ठेकुआ और गन्ना जैसी भेंटें लेकर सूर्य के प्रथम किरणों का स्वागत किया।

छठ सूर्य देव को समर्पित एक फसल-उत्सव है, जो मुख्यतः बिहार-उत्त प्रदेश में मनाया जाता है, पर अब यह देश के विभिन्न शहरों में भी लोकप्रिय हो रहा है। चंडीगढ़ में इस आयोजन ने शहर की सांस्कृतिक विविधता को उजागर किया।

स्थानीय प्रशासन ने भीड़ नियंत्रण और साफ-सफाई के उपाय किए, जिससे समारोह सुगमता से संपन्न हो सका। व्रत समाप्ति के बाद श्रद्धालुओं ने प्रसाद का सेवन किया, जो स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना का प्रतीक था।

देश

सहायक आयुक्त अंकिता पर अपने चहेते शिक्षकों पर प्रभार दिलाए जाने का लगा आरोप



एम सी बी में छात्रावास प्रभार आबंटन पर अनगिनत सवाल

मंत्रालय के निर्देशों की अनदेखी चहेते शिक्षकों को लाभ पहुंचाने के आरोप

स्थानीय शिक्षकों की अनदेखी दूर दराज के शिक्षकों को प्रभार और अतिरिक्त जिम्मेदारी देने पर सवाल।

निष्पक्ष जांच होगी तो पूरी सूची की खुल सकती है सच्चाई।

एम सी बी जिले में छात्रावास प्रभार आबंटन को लेकर सवाल उठ रहे हैं आरोप है कि मंत्रालय के 17/6/2025के निर्देशों के बावजूद संबंधित छात्रावास के बच्चे जिस विद्यालय में पढ़ते हैं वहां के शिक्षकों को प्राथमिकता देने की व्यवस्था की अनदेखी कर दूर दराज के शिक्षकों को प्रभार सौंपा गया स्थानीय स्तर पर शिक्षक उपलब्ध होने के बावजूद प्रस्ताव में शिक्षक नहीं मिलने की बात दर्शाए जाने के आरोप भी है। कन्हैया लाल शिक्षक माध्यमिक शाला भल्लोर को लगभग 10किलोमीटर दूर बेलबहरा छात्रावास पुष्पराज सिंह सहायक शिक्षक प्राथमिक शाला कपरिया को लगभग 30किलोमीटर दूर ब्लॉक छात्रावास केल्हारी तथा श्रीमती सुषमा कुजूर शिक्षक माध्यमिक शाला बिहारपुर को लगभग 10किलोमीटर दूर कन्या छात्रावास कछोड का प्रभार दिया गया। इसी प्रकार खड़गवा विकासखंड के देवादांड़ में पदस्थ शिक्षक गौरीशंकर मरकाम को लगभग 20किलोमीटर दूर ब्लॉक छात्रावास जारौंदा का प्रभार सौंपा गया वही भरतपुर विकासखंड से उत्तम कश्यप को लगभग 30किलोमीटर दूर ब्लॉक छात्रावास बहरासी का अतिरिक्त प्रभार दिए जाने पर भी सवाल उठ रहे हैं। आयुक्त आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास कार्यालय रायपुर द्वारा हाल ही में 1अक्टूबर 2026को पुनः दिशा निर्देश जारी कर 12अक्टूबर तक कार्यवाही की जानकारी मांगी गई थी।

ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या जिले में छात्रावास का प्रभार रायपुर स्थित आयुक्त कार्यालय के निर्देशों के अनुरूप नियम अनुसार आबंटित किया जाएगा या सहायक आयुक्त कार्यालय मनेंद्रगढ़ द्वारा पुनः मनमाने तरीके से अपने पसंदीदा चहेते शिक्षकों को प्रभार सौंपा जाएगा।।

अब केवल औपचारिकता नहीं पूरी सूची की निष्पक्ष जांच जरूरी है।15/07/2026की प्रभार आबंटन सूची डीईओ की अनुशंसाओं और शिक्षक उपलब्धता संबंधित अभिलेखों की जांच से ही स्पष्ट जानकारी होगी। अब देखना होगा कब तक जांच करा पाती है जिले के मुखिया या यूं ही लीपा पोती कर मामले को दबाया जाएगा।

— Pramod Kumar Tiwari

विदेश

Chhatarpur MP



Local Madhya Pradesh

— Firoj Khan

अपराध

चंडीगढ़ में IAS पादमा जयसवाल के 1.51 करोड़ रुपये के संपत्ति जब्त



प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने IAS अधिकारी पादमा जयसवाल के खिलाफ चंडीगढ़ में बड़ी कार्रवाई करते हुए उनकी संपत्ति जब्त कर ली है। एजेंसी ने 1.51 करोड़ रुपये की मूल्य की संपत्तियों और परिसरों को कब्जे में लिया है।

संपत्ति की जब्ती धोखाधड़ी रोकथाम अधिनियम (PMLA) के तहत की गई है। यह कार्रवाई यह संकेत देती है कि ED को शक है कि ये धन या संपत्ति अपराध की कमाई या धन शोधन (मनी लॉन्ड्रिंग) से जुड़ी हुई हैं।

चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश है, जहाँ अक्सर प्रशासनिक स्थिति के कारण उच्च स्तरीय कानूनी और वित्तीय जांच देखी जाती है। मामले की विशिष्ट विवरण, जिसमें कथित अपराधों की प्रकृति शामिल है, ED द्वारा मानक कानूनी प्रक्रियाओं के अनुसार संभाला जा रहा है।

यह कार्रवाई एजेंसी की देशभर में वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ी संपत्तियों को ट्रैक और फ्रीज करने की निरंतर प्रयासों को दर्शाती है। यह मामला PMLA के मामलों के लिए निर्धारित विशेष अदालतों के माध्यम से आगे बढ़ने की उम्मीद है।

खेल

26 नवंबर को चंडीगढ़ और झारखंड के बीच क्रिकेट मुकाबला



क्षेत्र के क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक आगामी मुकाबले की तैयारियां शुरू हो गई हैं, जहां चंडीगढ़ टीम झारखंड के सामने उतरेगी। इस मैच की तारीख 26 नवंबर 2026 तय की गई है, जो दोनों टीमों के लिए खेल कैलेंडर में एक महत्वपूर्ण दिन है।

आधिकारिक शेड्यूल के अनुसार, मैच की शुरुआत सुबह 8:00 बजे की गई है। यह प्रारंभिक समय दर्शकों को मैच को लाइव देखने का एक अच्छा अवसर प्रदान करता है। दोनों टीमें इस मुकाबले में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए तैयार होंगी।

हालांकि, प्रारंभिक घोषणा में विशिष्ट स्थल और खिलाड़ियों की सूची के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन ध्यान आगामी खेल के प्रतिस्पर्धी स्वरूप पर केंद्रित है। खेल प्रेमियों को मैच दिवस की व्यवस्थाओं के बारे में आगे की जानकारी के लिए नजर रखने की सलाह दी जाती है।

ऑटोमोबाइल

चंडीगढ़ के व्यक्ति का कार दुर्घटना का दावा यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस ने अस्वीकार किया



चंडीगढ़ के एक निवासी को यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस द्वारा अपने बीमा दावे में झटका लगा है क्योंकि उन्होंने उसकी अर्जी को अस्वीकार कर दिया है। अस्वीकृति का कारण व्यक्ति द्वारा बताई गई कार दुर्घटना की तारीख में भिन्नता बताई गई है। दुर्घटना की प्रकृति और तारीख में भिन्नता के बारे में सटीक विवरण अभी तक स्पष्ट नहीं हैं। यह घटना बीमा दावों के समय सभी प्रासंगिक जानकारी को सटीक रूप से दर्ज करने और जमा करने के महत्व को रेखांकित करती है।

स्थानीय

चंडीगढ़ के गोल्फ कोर्स रोड अंडरपास में तेज़ रफ़्तार कार से तीन वाहनों की टक्कर



चंडीगढ़ के गोल्फ कोर्स रोड अंडरपास में एक यातायात दुर्घटना हुई, जहाँ एक तेज़ रफ़्तार कार शामिल थी। इस तेज़ रफ़्तार वाहन ने अन्य कारों से टक्कर मारी, जिससे कुल तीन वाहनों की भिड़ंत हो गई।

दुर्घटना एक व्यस्त अंडरपास क्षेत्र में हुई, जिससे वहाँ के आसपास यातायात प्रभावित हुआ। यदि चोटों या क्षति की विस्तृत जानकारी तुरंत उपलब्ध नहीं है, तो तेज़ रफ़्तार कार की भागीदारी से यह संकेत मिलता है कि टक्कर का प्रभाव गंभीर था।

और दुर्घटना के कारण की जांच की उम्मीद है। गोल्फ कोर्स रोड क्षेत्र का एक प्रमुख मार्ग है, और शहरी अंडरपास में road safety और स्पीड लिमिट्स को लेकर ऐसे घटनाक्रम अक्सर चर्चा का विषय बनते हैं।

राजनीति

अमित शाह ने चंडीगढ़ स्थापना दिवस पर कांग्रेस पर तीखा हमला



चंडीगढ़ के स्थापना दिवस के अवसर पर केंद्र गृह मंत्री अमित शाह ने एकत्रित भीड़ के सामने कांग्रेस पर तीखा हमला किया, आगामी चुनावों के संदर्भ में पार्टी की प्रासंगिकता पर सवाल उठाते हुए।

उनके भाषण में स्थानीय अधिकारियों, पार्टी कार्यकर्ताओं और उपस्थित जनता का सम्मिलन था।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह बयान उत्तर भारत में भाजपा की समर्थन जड़ता को मजबूत करने की रणनीति को दर्शाता है।

राजनीति

गृह मंत्री अमित शाह ने चंडीगढ़ स्थापना दिवस पर कांग्रेस पर तीखा हमला



गृह मंत्री अमित शाह ने चंडीगढ़ के स्थापना दिवस समारोह में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर तीखा हमला किया। उन्होंने पार्टी को स्पष्ट नीति ढांचा न होने और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक ताने-बाने को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया। शाह ने सरकार की विकास-केन्द्रित कार्यवाही को उजागर किया और ruling coalition के एजेंडे को समर्थन देने का आह्वान किया। उपस्थित पार्टी समर्थकों ने इन बातों पर तालियों से स्वागत किया। इस दौरान कांग्रेस के किसी भी वरिष्ठ नेता ने सार्वजनिक प्रतिक्रिया नहीं दी।

विदेश

ईरानी तेल जहाजों में मदद के मामले में अमेरिका ने भारतीय-तुर्की कंपनियों पर लगाए प्रतिबंध



अमेरिका ने ईरानी तेल जहाजों को फर्जी रजिस्ट्रेशन के जरिए मदद पहुंचाने वाले नेटवर्क के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। इस घटनाक्रम में भारत और तुर्किये से जुड़ी कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए गए हैं, जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार में नियमों का पालन न करने के खिलाफ एक बड़ी कड़ी है।

का नाम शामिल है। उनके साथ उनकी पत्नी और दो अन्य भारतीय नागरिकों को भी इस कार्रवाई में शामिल किया गया है। इन लोगों को ईरानी जहाजों के लिए झूठी दस्तावेजों और रजिस्ट्रेशन प्रक्रियाओं में शामिल होने का आरोप लगाया गया है।

यह कार्रवाई अंतरराष्ट्रीय शिपिंग मार्गों पर बढ़ते निगरानी और ईरानी ऊर्जा निर्यात पर प्रतिबंधों को तोड़ने वाले तंत्रों को रोकने के प्रयासों का हिस्सा है। भारतीय नागरिकों के इस मामले में शामिल होने से वैश्विक व्यापार में अनुपालन मानकों की महत्वपूर्णता पर प्रकाश पड़ता है।

स्थानीय

जालौर आलासन में सरपंच प्रतिनिधि जोग सिंह राजपुरोहित ने गांव विकास की प्राथमिकताओं की जानकारी दी



जालौर आलासन में सरपंच प्रतिनिधि जोग सिंह राजपुरोहित ने गांव के विकास को लेकर प्राथमिकताओं से ग्रामीणों को अवगत कराया। यह जानकारी स्थानीय विकास कार्यक्रमों के तहत दी गई, जिससे गांव के भविष्य के योजना निर्माण में स्पष्टता आई।

वक्तव्य के दौरान उन्होंने विकास के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालते हुए बताया कि प्राथमिकताओं को समझना और उनका पालन करना गांव के समग्र प्रगति के लिए आवश्यक है। उन्होंने ग्रामीणों से सहयोग और सक्रिय भागीदारी की भी अपील की।

इस बैठक में कई ग्रामीण उपस्थित थे, जिन्होंने प्रस्तुत बिंदुओं पर प्रश्न उठाए और अपने सुझाव प्रस्तुत किए। सरपंच प्रतिनिधि ने सभी प्रश्नों का उत्तर देते हुए विकास कार्यों की समयसीमा और अपेक्षित परिणामों को स्पष्ट किया।

— Kamlesh

स्थानीय

चंडीगढ़ में दिवाली की रौनक, बाजारों में उमड़ी खरीदारी की भीड़



चंडीगढ़ में इस साल दिवाली का उत्सव धूमधाम से मनाया गया। शहर के विभिन्न हिस्सों में दीपों की रोशनी और रंग-बिरंगे सजावट ने रात को उज्ज्वल बना दिया।

दिवाली की खरीदारी के लिए बाजारों में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। महिलाएँ और पुरुष पारम्परिक मिठाइयाँ, दीपक, पटाखे और उपहार सामग्री खरीदने के लिए दुकानों के सामने लम्बी कतारें बना रहे थे।

भीड़ ने शहर के व्यावसायिक क्षेत्रों को जीवंत बना दिया और स्थानीय व्यापारियों को अच्छा व्यापार मिला। इस प्रकार, दिवाली की रौनक ने चंडीगढ़ के सामाजिक और आर्थिक जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार किया।

— Sajjad Alam, चंडीगढ़

Chand dekhne ke liye

Chandigarh tricity Supna Lake me Chand dekhne ke liye tdaro ki bhad

— Narinder Singh, चंडीगढ़

RSS के रूट मार्च की अनुमति के लिए मद्रास हाई कोर्ट का दरवाजा क्यों खटखटाना पड़ा? जानिए पूरा मामला



RSS के रूट मार्च की अनुमति के लिए मद्रास हाई कोर्ट का दरवाजा क्यों खटखटाना पड़ा? जानिए पूरा मामला

तमिलनाडु में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के रूट मार्च को लेकर उठा विवाद एक बार फिर अदालत तक पहुंच गया। यह विवाद केवल जुलूस निकालने की अनुमति तक सीमित नहीं था, बल्कि इसके केंद्र में संगठन के सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित करने के अधिकार और पुलिस की कानून-व्यवस्था संबंधी जिम्मेदारियों का सवाल भी था।

अनुमति को लेकर कहां से शुरू हुआ विवाद?

मामले के अनुसार, RSS ने तमिलनाडु में अपने स्थापना दिवस और विजयादशमी से जुड़े कार्यक्रमों के तहत राज्य के 128 स्थानों पर रूट मार्च तथा सार्वजनिक सभाएं आयोजित करने की योजना बनाई थी। इसके लिए RSS के उत्तर तमिलनाडु के राज्य सचिव वी. जी. जगदीशन ने 3 अक्टूबर 2026 को पुलिस महानिदेशक (DGP) को आवेदन देकर आवश्यक निर्देश जारी करने की मांग की थी।

संगठन चाहता था कि विभिन्न जिलों के पुलिस आयुक्त और पुलिस अधीक्षक निर्धारित कार्यक्रमों के लिए अनुमति दें। प्रस्तावित कार्यक्रमों में गणवेशधारी स्वयंसेवकों का मार्च, संगीत बैंड और उसके बाद सार्वजनिक सभा शामिल थी।

हालांकि, अनुमति की प्रक्रिया पर सहमति नहीं बन सकी। RSS का पक्ष था कि शांतिपूर्ण तरीके से जुलूस निकालने के लिए उसे बार-बार अदालत का रुख नहीं करना चाहिए। इसके बाद संगठन ने मद्रास हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की।

पुलिस ने अनुमति देने में क्या आपत्तियां उठाईं?

मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, पुलिस ने विभिन्न स्थानों पर मार्च की अनुमति देने को लेकर कई तरह की आशंकाएं जताई थीं। इनमें प्रस्तावित रास्तों पर अन्य समुदायों के धार्मिक स्थल होना, यातायात बाधित होने की संभावना, कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने का अंदेशा, सुरक्षा बलों की तैनाती और कार्यक्रम में शामिल होने वाले लोगों की संख्या से जुड़ी जानकारी जैसे मुद्दे शामिल थे।

कुछ स्थानों पर लाउडस्पीकर के इस्तेमाल, रास्ते में प्रतिमाओं की मौजूदगी और अलग विचारधारा वाले संगठनों की संभावित गतिविधियों का भी उल्लेख किया गया था।

प्रशासन का पक्ष था कि सार्वजनिक कार्यक्रमों के दौरान शांति बनाए रखना और किसी भी अप्रिय स्थिति को रोकना पुलिस की जिम्मेदारी है। वहीं, RSS ने अनुमति रोकने के इन आधारों पर आपत्ति जताई और न्यायालय से हस्तक्षेप की मांग की।

RSS के रूट मार्च की अनुमति के लिए मद्रास हाई कोर्ट का दरवाजा क्यों खटखटाना पड़ा? जानिए पूरा मामला

आशंकाओं को किसी वास्तविक हिंसक घटना का प्रमाण नहीं माना जा सकता। उसी तरह, RSS की ओर से अनुमति मांगे जाने मात्र से यह निष्कर्ष भी नहीं निकलता कि हर स्थान पर किसी तरह का जोखिम नहीं था। इन्हीं परिस्थितियों में अनुमति देने की प्रक्रिया और उसके कानूनी आधार पर न्यायिक समीक्षा हुई।

हाई कोर्ट ने पुलिस के तर्कों पर सवाल क्यों उठाए?

मामले की सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति वी. लक्ष्मीनारायणन ने इस बात पर सवाल उठाया कि जब पूर्व में अदालतें इसी तरह के कारणों पर विचार कर चुकी हैं, तो अनुमति रोकने के लिए बार-बार उन्हीं आधारों का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है।

अदालत ने विशेष रूप से कहा कि किसी मार्ग पर मस्जिद या चर्च की मौजूदगी को अपने-आप में जुलूस की अनुमति अस्वीकार करने का आधार नहीं बनाया जा सकता। इसी तरह, केवल यातायात की समस्या या अलग विचारधारा वाले संगठनों की मौजूदगी का उल्लेख करके अनुमति रोकना उचित नहीं होगा, यदि उसके समर्थन में परिस्थितियों के अनुरूप पर्याप्त आधार न हों।

अदालत की चिंता यह भी थी कि धार्मिक अल्पसंख्यकों के विरोध की आशंका का हवाला देते समय यह स्पष्ट होना चाहिए कि उस आशंका का वास्तविक आधार क्या है। किसी पूरे समुदाय को संभावित विरोध से जोड़कर देखना उचित नहीं है।

— Ratneshwar Chandrakant Jha

छत्तीसगढ़ की IPS अंकिता शर्मा का दशहरा पर AK-47 से फायरिंग करते हुए वीडियो वायरल हुआ था। इस मामले में अब उन्हें फायरिंग करने का कारण बताने के लिए नोटिस थमाया गया है।



छत्तीसगढ़ की IPS अंकिता शर्मा का दशहरा पर AK-47 से फायरिंग करते हुए वीडियो वायरल हुआ था। इस मामले में अब उन्हें फायरिंग करने का कारण बताने के लिए नोटिस थमाया गया है।

शस्त्र पूजा या शक्ति का प्रदर्शन? वर्दी की गरिमा और जिम्मेदारी पर गंभीर सवाल.....

शस्त्र पूजा का उद्देश्य शस्त्रों के प्रति सम्मान, सुरक्षा के संकल्प और राष्ट्र की रक्षा के दायित्व को स्मरण करना है, न कि हथियारों का प्रदर्शन करके शक्ति का एहसास कराना। यदि छत्तीसगढ़ में एक आईपीएस महिला अधिकारी द्वारा शस्त्र पूजा के अवसर पर AK-47 चलाई गई है, तो इस घटना पर कुछ गंभीर सवाल उठना स्वाभाविक है।

जिस हथियार को आम नागरिकों की सुरक्षा, अपराधियों पर नियंत्रण और राष्ट्र की रक्षा के लिए सौंपा जाता है, क्या उसका धार्मिक उत्सव के अवसर पर प्रदर्शन करना वास्तव में आवश्यक है?

एक आईपीएस अधिकारी केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि कानून, अनुशासन और प्रशासनिक मर्यादा का प्रतिनिधित्व करती हैं। उनके प्रत्येक सार्वजनिक आचरण का समाज पर प्रभाव पड़ता है। ऐसे में सवाल किसी महिला अधिकारी के होने का नहीं, बल्कि उस पद की गरिमा, हथियारों के जिम्मेदार उपयोग और सार्वजनिक संदेश का है।

माध्यम नहीं। शस्त्र पूजा का वास्तविक अर्थ शस्त्रों की शक्ति का प्रदर्शन करना नहीं, बल्कि उनकी शक्ति पर विवेक, अनुशासन और कानून का नियंत्रण बनाए रखना है।

विडंबना यह है कि जब आम नागरिकों को हथियारों के मामले में कठोर नियमों और कानूनी प्रतिबंधों का पालन करना पड़ता है, तब वर्दीधारी अधिकारियों से अपेक्षा और भी अधिक जिम्मेदार आचरण की होती है। कानून लागू करने वालों का प्रत्येक कदम ऐसा होना चाहिए, जो जनता में कानून के प्रति सम्मान पैदा करे, न कि शक्ति प्रदर्शन की संस्कृति को प्रोत्साहित करे।

वर्दी की असली ताकत AK-47 चलाने में नहीं, बल्कि उस हथियार का उपयोग कब करना है और कब नहीं करना है—इस विवेक में निहित है।

शस्त्र पूजा तभी सार्थक है, जब शस्त्र के साथ विवेक की भी पूजा हो, शक्ति के साथ जिम्मेदारी का भी निर्वाह हो और परंपरा के साथ संवैधानिक मर्यादा का भी सम्मान हो।

अंततः सवाल यही है—शस्त्र पूजा के नाम पर हथियार चलाने का प्रदर्शन आवश्यक था, या अनुशासन, कर्तव्य और जनसुरक्षा का संदेश देना अधिक गरिमापूर्ण होता?

क्योंकि एक जिम्मेदार अधिकारी की पहचान उसके हथियार की आवाज से नहीं, बल्कि उसके विवेक, निष्पक्षता और कर्तव्यनिष्ठा से होती है।

@Chhattisgarh Police @IPS Association

@Ministry of Home Affairs

@Government of Chhattisgarh

#ChhattisgarhPolice #IPSOfficer #ShastraPuja #AK47 #PoliceAccountability #UniformDignity #ResponsiblePolicing #LawAndOrder #PublicSafety #PoliceDiscipline #शस्त्रपूजा #पुलिस_प्रशासन #वर्दी_की_गरिमा #कानून_का_सम्मान #जवाबदेही

— Ratneshwar Chandrakant Jha

रक्षा

ग्रामीण बहुत समस्या में है



जैसे ही बता जा रहा है कि आज मच्छी घाट पंचायत में बिजली की सुविधा ना पानी की सुविधा नाली रोड के किनारे ना कोई कई चीज का सुविधा नहीं है

— Haridas Bhannare